

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज बनाम..... मु.नं. 139/21	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
	<p> 6/10/21 फहरान ठी अदम हाजरी व अदम पैरकी में खारिज की जाती है। फहरान केवल मुमर होकर शखिल इकर हो। </p> <p align="center"> उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज <u>शत्रुघ्न जीराया खलम</u> बनाम <u>वारा-२</u> मु.नं. 139/21	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	---	---

10-10-24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य हेतु हाईकोर्ट जयपुर पधारे जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14.11.24 को पेश की।

14-11-24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.12.24 को पेश की।

17-12-24 पत्रावली पेश हुई। अतिआपको द्वारा कार्य स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16.1.25 को पेश की।

16.1.25 पत्रावली पेश हुई। अतिआपको द्वारा कार्य स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11.2.25 को पेश की।

11.2.25 पत्रावली पेश हुई। पत्रकारान को वारा-2 अवाज मिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली अगले समय से बंद कर दी गई है। पत्रकारान के द्वारा वारा-निदेशों के बावजूद भी बंद नहीं की जा रही है एवं निदेशों की अवहेलना हो जा रही है। इससे स्पष्ट है कि पत्रकारान पत्रावली में कोई कार्यवाही के इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली